

**कार्यालय प्राचार्य**  
**शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)**

रजबंदा मैदान, रायपुर फोन 0771 2222990

[www.govtdentalcollegeraipur.in](http://www.govtdentalcollegeraipur.in)

Email-govtdentalcollege@gmail.com (GST- 22JBPS02579D1D2)

क्रमांक / 6614 / जीडीसी / मेन्ट. / 2023

रायपुर / दिनांक  
13-12-23

**कोटेशन सूचना**  
**Quotation Notice**

**विषय:-** वाटर कनेक्शन सामाग्री क्रय हेतु कोटेशन (दर) प्रस्तुत किये जाने बाबत।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय के उपयोग हेतु वाटर कनेक्शन सामाग्री की क्रय किया जाना है उक्त कार्य हेतु कोटेशन (दर) आमंत्रित की जाती है। निम्नलिखित प्रारूप ही कोटेशन प्रस्तुत करें:-

| क्र. | सामाग्री का नाम        | अनुमानित मात्रा | यूनिट | मेक एवं प्रोडक्ट कोड | ईकाई दर रु. में | जी.एस.टी. % | ईकाई दर जी.एस.टी. सहित | कुल राशि |
|------|------------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------------|-------------|------------------------|----------|
| 01   | Water valve heavy 1/2" | 40              |       |                      |                 |             |                        |          |
| 02   | Nozzel 1/2"x 8mm       | 40              |       |                      |                 |             |                        |          |

अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन दर मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 20/12/2023 शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।

**नियम एवं शर्त:-**

- कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करें। दर अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी चाहिए।
- कृपया जी.एस.टी. पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करें।
- किसी भी फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
- सामाग्रियों को महाविद्यालय में पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
- आदेश जारी होने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर ही सामाग्रीयाँ प्रदाय किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आदेश निरस्त किया जा सकता है।
- लिफाफे के उपर कोटेशन नं. एवं विषय का नाम लिखना चाहिए।
- प्रस्तुत किये गये कोटेशन दर एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
- राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी। उक्त संबंध में उन्हें शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- सामाग्री अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए। अनुमानित संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
- दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।

प्राचार्य

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर